कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय—आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–माध्य/संस्था/सी–1/स्थानांतरण/अंग्रेजी/2019–20 दिनांक– 29.09.2019 के तहत् छवि सक्सैना व्याख्याता, अंग्रेजी, राउमावि गैटोर, जयपुर का स्थानांतरण राउमावि बाघावास, जयपुर किया गया। छवि सक्सैना, द्वारा स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में याचिका संख्या 18992/2019 छवि सक्सैना बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 18992/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 04.12.2019 द्वारा याचिकार्थी छवि सक्सैना को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन दिनांक पेश करने एवं पेश किये जाने की स्थिति में इसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में एक सकारण आदेश प्रसारित कर निस्तारण किये जाने के निर्देश प्रदान किये है।

माननीय न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थी द्वारा आज दिनांक तक कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। इनके द्वारा पूर्व में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जोधपुर में दायर अपील संख्या 597/19 छवि सक्सैना बनाम सरकार को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी–1/अंग्रेजी/अपील संख्या 597/छवि सक्सैना/19 दिनांक 20.12.2019 द्वारा खारिज किया जा चुका है।

संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरांगना से प्राप्त परिवेदनाओं को ही प्राथमिकता की श्रेणी में रखा गया है। याचिकार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है। छवि सक्सैना द्वारा स्थानान्तरित स्थान पर दिनांक 05.12.2019 को कार्यग्रहण कर लिया गया है। अतः याचिकार्थी द्वारा अन्यत्र समायोजन की मांग तर्क संगत नहीं है।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए याचिकार्थी द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण एतद् द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।

सभी संबंधित पक्षकार सूचित हों।

24/01

(हिमांशु गुप्ता)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/सी–1/अंग्रेजी/याचिका सं.18992/छवि सक्सैना/2019 दिनांकः–27/01/2020

➢ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
4. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा,
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जयपुर
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा को उनके पत्र क्रमांक शिविरा–मा/विधि/बी–2/जय/निर्णय/जे/19 दिनांक 01.01.2020 के क्रम में।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्राधानाचार्य
9. संबंधित व्याख्याता,

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

C-1 Court Case 15